URBAN CEILING Amendment Act.

रजिस्टर्ड नं० एल० ३८ब

पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज... परिषद, उ०प्र०,
लखनऊ

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, रविवार, 31 दिसम्बर, 1972

पौष 11, 1894 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4432/सत्रह-वि-1-156-1972

लखनऊ, 31 दिसम्बर, 1972

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1972 पर दिनांक 31 दिसम्बर, 1972 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1972 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अधिनियम, 1972

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1972]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है --

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2--एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य-नीति को कार्यान्वित करने के लिये है। घोषणा

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1972 की धारा 3 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में —

(1) उपधारा (1) में,—

(क) शब्द तथा अंक "दिनांक 12 जुलाई, 1972 से प्रारम्भ होने वाली तीन महीने की अवधि के भीतर" के स्थान पर शब्द तथा अंक "दिनांक 12 जुलाई, 1972 से 31 जनवरी, 1973 तक की अवधि के भीतर" रख दिये जायं;

(ख) शब्द तथा अंक "उपधारा (3) और (4)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (3), (4) और (5)" रख दिये जायं;

(ग) शब्द "या कृषि भूमि" निकाल दिये जायं;

(2) उपधारा (3) में—

(क) खण्ड (ख) निकाल दिया जाय;

(ख) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात्—

"(घ) 11 जुलाई, 1972 के पूर्व संस्थित किसी वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा दी गयी किसी डिक्री अथवा यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, 1934 की धारा 14 के अधीन किसी डिक्री के निष्पादन में शहरी सम्पत्ति के किसी अन्तरण पर;

(ङ) किसी सहकारी आवास समिति के पक्ष में शहरी सम्पत्ति को बन्धक रखने पर, यदि ऐसी सम्पत्ति कोई निर्मित अथवा निर्माण के लिये प्रस्तावित भवन हो, अथवा ऐसे भवन या प्रस्तावित भवन का स्थल हो, और खण्ड (ग) के उप खण्ड (4) में अभिदिष्ट सहकारी समिति द्वारा व्यवस्थित निधि में से उक्त समिति द्वारा दिये गये ऋण या अग्रिम धनराशि में से पूर्णतः या अंशतः क्रय किया गया हो अथवा क्रय किये जाने के लिये प्रस्तावित हो।";

(3) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय —

"(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, डिवीजन का आयुक्त, यह समाधान हो जाने पर कि 1 अप्रैल, 1969 को, और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को भी, किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के सदस्यों सहित धृत शहरी सम्पत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य दो लाख रुपये से अधिक नहीं है, उसे ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति अथवा उसके भाग का अन्तरण करने की अनुज्ञा दे सकता है।

स्पष्टीकरणः—इस उपधारा में, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में, "परिवार" का तात्पर्य उसके पति या उसकी पत्नी और अवयस्क पुत्रों तथा (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) पुत्रियों से है।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16, 1972 का निरसन

4—उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।